

संख्या ई-11012/7/2010-हिन्दी
भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

टैक्नोलाजी भवन,
न्यू महरौली मार्ग
नई दिल्ली-110016

दिनांक 10 सितम्बर, 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय : हिन्दी दिवस – 2010 - समेकित आदेश

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग के प्रति जागरूकता तथा उसके प्रयोग में गति लाने के उद्देश्य से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग और विभाग के कार्यालय गत वर्षों में हिंदी दिवस /सप्ताह/पखवाड़ा/मास आदि मनाते रहे हैं। प्रत्येक वर्ष इस अवसर पर सरकारी कार्य में हिंदी के प्रयोग का संकल्प भी लिया जाता है।

हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नित्यप्रति होने वाले अनुसंधानों के परिणामों से देश की जनता को हिन्दी के माध्यम से जानकारी प्रदान करने के उत्तरदायित्व के प्रति प्रतिबद्ध हैं। विश्व के हर क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए हमें एक वैज्ञानिक विभाग में कार्यरत होने के नाते यह सिद्ध करने की आवश्यकता है कि वैज्ञानिक ज्ञान को अभिव्यक्त करने में हिंदी पूरी तरह समर्थ है।

इस दिशा में कदम बढ़ाना हमारा संवैधानिक दायित्व भी है। अतः 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस के अवसर पर यह सुनिश्चित करें कि :

1. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में किए गए प्रावधान के अनुसार विनिर्दिष्ट सभी कागजात हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक साथ जारी हों।
2. राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 5 के अनुसार हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर, जिनका उत्तर देना अपेक्षित हो, अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही दिए जाएं।
3. “क” और “ख” क्षेत्रों से केवल अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी हिन्दी में दिए जाएं। पत्राचार में मूल रूप से हिन्दी के प्रयोग की शुरुआत होनी चाहिए।

4. सभी वरिष्ठ अधिकारी अपने स्तर पर रोजमर्रा के कार्य हिंदी में करें। इससे कार्यालय में कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
5. ई-मेल हिन्दी में भेजें।
6. राजभाषा विभाग के सहयोग से कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के संबंध में आयोजित किए जा रहे 5 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करें।

विभाग और विभाग के सभी कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे कृपया अपनी कार्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अपने-अपने कार्यालयों/अनुभागों/प्रभागों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु सार्थक प्रयास करें ताकि आगामी तीन महीनों की अवधि में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति संतोषजनक प्रतीत हो ।



(डा. के. जयकुमार)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. सभी अधिकारी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली
2. सभी अनुभाग/प्रभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली
3. महा निदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली-1
4. अध्यक्ष एवं मुख्य प्रबंध निदेशक, नेशनल रिसर्च डिवलपमेंट कारपोरेशन, 20-22 जमरुदपुर सामुदायिक केंद्र, कैलाश कालोनी एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110048
5. मुख्य प्रबंध निदेशक, सेंट्रल इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, 4 औद्योगिक क्षेत्र, साहिबाबाद, उत्तर प्रदेश
6. महानिदेशक, परामर्शी विकास केन्द्र, इंडिया हैबीटैट सेंटर, कोर-IV बी, दूसरा तल, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रति सूचनार्थ प्रेषित:

1. सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के प्रधान निजी सचिव, अनुसंधान भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
2. संयुक्त सचिव (प्रशासन), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के प्रधान निजी सचिव, अनुसंधान भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001